

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाडा

क्रमांक एफ1स-25()स्थापना/2020/15967

दिनांक 29-06-2020

वास्ते :-

श्री (सूचि संलग्न)

विषय:- कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2013 के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वैकल्पिक पदों पर वर्ष 2018 की रिजर्व लिस्ट से पिकअप किये गये चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में ।

प्रसंग:-शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु-03) जयपुर के पत्रांक प. 1(2)प्र.सु./अनु.-3/2020 दिनांक 18.06.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक पत्र दिनांक 18.06.2020 द्वारा कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2013 के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वैकल्पिक पदों पर वर्ष 2018 की रिजर्व लिस्ट से पिकअप किये गये चयनित अभ्यर्थियों में अस्थाई रूप से सफल घोषित कनिष्ठ सहायक पद हेतु अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई है।

अतः सूचीनुसार अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि व निर्धारित दिनांक को प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक निम्न मूल दस्तावेजात के साथ अपनी पात्रता की जांच हेतु व्यक्तिशः उपस्थित होंगे। संबंधित अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में उपस्थित होने के लिये किसी भी प्रकार का किराया भत्ता आदि देय नहीं होगा।

01. कक्षा 10 का मूल प्रमाण पत्र जिसमें जन्म दिनांक अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित हों।
02. कक्षा 10 से स्नातक की परीक्षाओं की मूल अंक तालिकाएं।
03. मूल निवास प्रमाण पत्र।
04. आवेदक का पहचान पत्र।
05. यदि आवेदक का चयन उत्कृष्ट खिलाड़ी के कारण हुआ है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का प्रमाण पत्र।
06. यदि आवेदक का चयन भूतपूर्व सैनिक के कारण हुआ है तो भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र।
07. विधवा/परित्यक्ता होने संबंधी दस्तावेज। (विधवा-पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता-परित्यक्ता प्रमाणपत्र जो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया हो।)
08. यदि आवेदक का चयन अनुसूचित क्षेत्र में हुआ है तो अनुसूचित क्षेत्र में निवासी होने का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र।
09. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ पत्र एवं 01.06.2002 के पश्चात 02 से अधिक संतान नहीं होने/विधवा, परित्यक्ता महिला द्वारा पुनः विवाह नहीं करने का शपथ

पत्र तथा धुम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने व घर में शौचालय होने के संबंध में वचनबद्धता।

10. अनुसूचित जन्जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/का प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है।
11. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिलियर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।
12. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। विवाहित महिला आवेदकों के मामलों में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर पिता के नाम के साथ जारी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करें, तो ही मान्य होगा।
13. कम्प्यूटर दक्षता के संबंध में RSCIT या इसके समकक्ष अन्य कोर्स का प्रमाण पत्र।
14. समस्त अभ्यर्थी जिला कलक्टर/अति० जिला कलक्टर की वेबसाइट पर अपलोड प्रपत्र—'अ' 'ब' 'स' एवं 'द' में निर्देशानुसार प्रपत्र में सूचना।
15. प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र।

— 91 —
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:— संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग भीलवाड़ा को देकर लेख है कि उक्त सूचना को जिला कलक्टर एवं अति० जिला कलक्टर भीलवाड़ा की वेबसाइट पर मय प्रपत्र—'अ' 'ब' 'स' एवं 'द' के अपलोड करावें।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाडा

क्रमांक एफ1स-25()स्थापना/2020/15354

दिनांक 25-06-2020

--: आदेश :-

शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु-03) जयपुर के पत्रांक प. 1(2)प्र.सु./अनु.-3/2020 दिनांक 18.06.2020 द्वारा कनिष्ठ सहायक प्रतियोगी परीक्षा-2013 के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों पर वर्ष 2018 की रिजर्व लिस्ट से पिक-अप किये गये अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच मूल दस्तावेजों से की जानी है।

अतः कनिष्ठ सहायक प्रतियोगी परीक्षा-2013 के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों पर वर्ष 2018 की रिजर्व लिस्ट से पिक-अप किये गये अस्थाई रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नानुसार अपने रोल नम्बर के सामने अंकित दिनांक को प्रातः 11.00 बजे से कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाडा स्थित बैठक कक्ष में पात्रता की जांच हेतु आवश्यक रूप से मूल दस्तावेजों के साथ कमेटी के समक्ष उपस्थित हों :-

क्र.सं.	रोल नम्बर
01	1500659, 1531063, 2405972, 1372190, 1874062, 2031116, 1900496, 1355789, 2421649, 2033282, 2060834, 1941389, 1529943, 1364899, 2179543 दिनांक 01.07.2020 को।
02	2119132, 2200662, 1554549, 2078431, 1491120, 1537939, 1787988, 2217295, 1757213, 2185973, 2040196, 2385522, 2039637, 2250122 दिनांक 02.07.2020 को।


जिला कलक्टर
भीलवाडा

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, (एन.आई.सी.) भीलवाडा को देकर लेख है कि उक्त सूचना को जिला कलक्टर एवं अति० जिला कलक्टर भीलवाडा की वेबसाइट पर मय प्रपत्र-‘अ’ ‘ब’ ‘स’ एवं ‘द’ के अपलोड करावें।


जिला कलक्टर
भीलवाडा

परिशिष्ट-अ

1	सैकण्डरी	
2	सीनियर सैकण्डरी	
3	स्नातक	
4	अधिस्नातक	
5	अन्य योग्यता	
6	कम्प्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र	
7	जाति प्रमाण पत्र	
8	अन्तिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र	
9	दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (6 माह से पूर्व की तिथि का न हो) शिक्षण स्थान के अधिकारियों के मान्य नहीं	
10	विवाह शपथ पत्र (प्रमाण पत्र हो तो सत्यापित प्रति)- परिशिष्ट-ब	
11	01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने/न होने का शपथ पत्र परिशिष्ट-स	
12	दहेज न लेने का शपथ पत्र - परिशिष्ट - द	
13	पत्र व्यवहार का पता	
14	मूल निवास प्रमाण पत्र	
15	पते का प्रमाण पत्र, यथ-बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल, आधार कार्ड, वाहन लाईसेंस	
16	पान गुटका नहीं खाने का शपथ-पत्र	
17	मेरे घर में शौचालय है का शपथ पत्र	

रु 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

(विवाह शपथ-पत्र)

प्रपत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती.....
निवासी..... शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि
मेरा विवाह श्रीमती/श्री..... निवासी.....
के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू नही होने से पूर्व दिनांक
..... को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री..... निवासी.....
के साथ दिनांक..... को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत
नहीं हुआ है।

या

मैं अविवाहित हूँ।

या

मैं..... विधुर/विधवा हूँ। (पत्नि/पति श्री/श्रीमती.....)

या

मैं तलाकशुदा हूँ (प्रमाण पत्र संलग्न है)

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री के साथ दिनांक
..... को सम्पन्न हुआ था।

हस्ताक्षर

शपथकर्ता

परिशिष्ट-स

रु.50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

(संतान शपथ-पत्र)

घोषणा पत्र

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमां एफ 7 (1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसरण में निम्नलिखित प्रपत्र में कार्यभार ग्रहण करते समय घोषणा जो कि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित है, प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....रोल नं.....
.....है, लिपिक ग्रेड-II, भर्ती परीक्षा, 2013 में लिपिक ग्रेड-II के पद पर बभिस्तावित हुआ/हुई हूँ।

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों की संख्या.....थी।
2. दिनांक 01 जून 2002 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

दिनांक 01 जून 2002 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों की कुल संख्याहै।

कं सं. नाम जन्मतिथि

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम:

पद लिपिक ग्रेड II

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये

राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर के

नाम:

पद

मय मोहर

रु.50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

विवहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला

घोषणा पत्र

प्रपत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती.....
निवासी..... शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड II संयुक्त प्रतियोगी भर्ती परीक्षा 2013
में लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह दिनांकको हुआ। विवाह के समय मेरे घर वालों ने न तो
दहेज लिया है/न ही दहेज दिया है। भविष्य में दहेज लिये जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नि एवं
ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी
नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तकर्ता यथा संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थी जिम्मेदार रहूँगा।
(नाम -.....)

घोषण-कर्ता

स्थान :-.....

दिनांक :-.....

साक्षी

ससुराल पक्ष पिता की ओर से

1. हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

2. हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

1. हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

2. हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....